न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 101/2023 दायर दिनांक–04.09.2023

1. हाशियार सिंह पुत्र फूलचंद जाति जाट निवासी भानपूरा, पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. कृष्ण कुमार पुत्र फूलचंद जाति जाट निवासी भानपुरा पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़।
2. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़।
3. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री विप्लव पंडित
वकील अनावेदकगण :– श्री आनन्दीलाल सैनी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक 07.06.2024

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1402/153 रकबा 1.43 है0 स्थित है जिसमें आवेदक 1/2 हिस्सा व अनावेदक संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है इसी अनुसार हक अधिकार व कब्जा काश्त है। आवेदक भूमि खसरा नम्बर 1402/153 के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

विवादित भूमि का आवेदक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करके अपनी आजीविका चलाता है। आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 1402/153 में से आवागमन के लिए एक रास्ता जाता है उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो ग्राम पकोड़ी की प्याउ पुजारी की ढाणी से शुरू होकर ग्राम पुजारी की ढाणी मे स्थित आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 208 व 199 से शुरू होकर वादी के खातेदारी खसरा नम्बर 1402/153 , 153 व 147 से होता हुआ ग्राम भैरुबास को जाता है जो मौके पर मौजूद है तथा नक्शा ट्रेस में अंकित है। आवेदक प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश कर रहा है नजरी नक्शे में रास्ते की स्थिति को क से ख बिंदुओं से लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है।

वर्तमान मे राज्य सरकार सड़क डाले जाने बाबत आदेश जारी हुये है तथा अनावेदक 1 व 2 द्वारा उक्त रास्ते पर डामर सड़क का निर्माण किया जाना है जिसमें भी आवेदक को कोई आपत्ति नही है परन्तु अनावेदक संख्या 2 व 3 राजनैतिक दबाब व पड़ौसी खातेदारों के दबाब में आकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते के विपरित आवेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1402/153 की उत्तरी सीमा में से सड़क डालना चाहते है जिसमें आवेदक ने मकान बना रखे है दिनांक 27.08.2023 को अनावेदक संख्या 2 व 3 मजदूर कारीगर जे0सी0बी0 मशीन लेकर आये और आवेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1402/153 की उत्तरी सीमा पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते के विपरीत सड़क डालने हेतु भूमि को समतल करने लगे। आवेदक ने अनावेदक संख्या 2 व 3 को सड़क डालने से मना किया तो धमकी दी की हम राजकीय कर्मचारी है जहां चाहेंगे वहा सड़क डालेंगे यदि विरोध किया तो राजकार्य में बाधा का मुकदमा लगाकर जेल डाल देंगे। अनावेदक संख्या 2 व 3 अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए है तथा कटाण शुदा रास्ते के विपरीत आवेदक की खातेदारी की भूमि में से सड़क डालकर आवेदक की भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है तथा सड़क डालकर बिना अधिकार के हड़पना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। इसलिए अनावेदक संख्या 2 व 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि आवेदक की खातेदारी की भूमि की सीमा को नही काटे ना ही आवेदक की भूमि में से ताकत व लठ के बल पर सड़क डाले प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में क से ख लाल रंग से प्रदर्शित बिंदुओं के रास्ते के विपरीत सड़क का निर्माण कार्य नही करें आवेदक की भूमि को खुर्द बुर्द नही करें जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

29

आवेदक विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा भौतिक रूप से अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है परन्तु पड़ोसी खातेदारों को नाजायज फायदा दने के प्रयोजन से आवेदक की भूमि में से राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत सड़क डालना चाहते है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। कानूनन किसी खातेदार की भूमि को अधिग्रहण खातेदारी अधिकारों का अधिग्रहण होने के पश्चात ही अन्य उपयोग में लिया जा सकता है राज्य सरकार ने आवेदक की भूमि में रास्ते के बाबत कोई अधिसूचना जारी होकर नोटिस जारी किये गये है ना ही मुआवजा दिया गया है तथा आवेदक के आवासीय मकानों को तोड़ कर बेघर करने पर अमादा है। अनावेदक संख्या 2 व 3 कानून को हाथ में लेकर बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये अपनी गलत कार्यवाही में सफल हो गये तो आवेदक को अपार क्षति होगी।

अतः निवेदन है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1402/153 के संबंध में अनावेदक संख्या 2 व 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि आवेदक की खातेदारी की भूमि की सीमा को नही काटे तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न्न नजरी नक्शे में क से ख लाल रंग से प्रदर्शित बिंदुओं के रास्ते के विपरीत सड़क का निर्माण नही करें आवेदक की भूमि को खुर्द बुर्द नही करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 02 व 03 की ओर से वकील श्री आनन्दी लाल सैनी उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :—

आवेदक के खेत के उत्तर में प्रचलित रास्ता है जिस पर वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क डाली गई थी जो वर्तमान में चालू है जिस पर सड़क निर्माण आवेदक करने नही दे रहे है। तथा आवेदक ने राजस्व रिकॉर्ड में जो दर्ज किया है वह वर्तमान में आवागमन के काम नही आ रहा है बंद है। आवेदक ने अपने खेत में मिला रखा है। पहले से आवेदक के उत्तर में प्रचलित रास्ते में ग्रेवल सड़क निर्मित थी जो क्षतिग्रस्त हो जाने से दुरूस्तीकरण कर चौड़ाई ग्रेवल सड़क को बढाकर सा. नि0 वि0 द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा डाली गई सड़क पर ही जबाबदेहन्दा द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है परन्तु आवेदक द्वारा कार्य नही करने देने के लिए यह झुठा दावा अपने खेत के बीच में से दिखाकर सड़क का निर्माण नाजाजय करवाने की मंशा आवेदक की है जब कि प्रचलित रास्ते में डाली गई सड़क पर सा.नि.वि. द्वारा डामरीकरण सड़क नही डालने देने से कई घरों के रास्ते व श्मशान में जाने का रास्ता बंद हो जायेगा इसी दुषित उदेश्य से यह दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। शेष कथन आवेदक ने मनगंढत व झुठे अंकित किये है। अनावेदक द्वारा प्रचलित रास्ते व ग्राम पंचायत द्वारा डाली गई ग्रेवल सड़क पर डामरीकरण सड़क निर्माण किया जा रहा है तथा आवेदक ने जबरन नाजायज रूप से अपने खेत के बीच में सड़क डलवाना चाहता है जिससे अन्य लोगों का आवागमन उनके निजी मकानों मे से नही हो सकेगा एवं श्मशान के रास्ते में नही जा सकेंगे अन्य व्यक्तियों जिनके मकान बने हुए है। पंचायत द्वारा डाली गई ग्रेवल सड़क से वंचित करने के लिए सारहीन दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजकीय संपति को नुकसान पहुचाया है। जबाबदेहन्दा द्वारा नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा डाली गई ग्रेवल सड़क पर ही डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है इसलिए नया रास्ता कायम करने भूमि का अधिग्रहण करने मकानों को तोड़ने कानून को हाथ में लेने का प्रश्न ही नही उठता है। आवेदक का न तो प्रथम दृष्टया मामला है ना ही सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है।

<u>विशेष कथन</u>

आवेदक द्वारा अपने वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में श्रीमान जिला कलेक्टर झुंझुनूं को पक्षकार नही बनाया जबकि राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर है तथा सड़क का निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। जिसका नियंत्रण व बजट प्रक्रिया समस्त कार्यवाही श्रीमान जिला कलेक्टर झुंझुनू के अधीन है। आवेदक द्वारा गलत रूप से राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाया है जिसका वर्तमान सड़क निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। इसलिए आवेदक द्वारा गलत पक्षकार बनाने एवं आवश्यक पक्षकार नही बनाने से दावे व प्रार्थना पत्र में नोनजोइन्डर एवं मिसजोइंडर पार्टी नुक्श होने की वजह से आवेदक का दावा व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

आवेदक द्वारा महज उत्तरदाता/अनावेदक संख्या 1 व 2 को परेशाान करने एवं राजकार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की नियत से दावा व प्रार्थना पत्र मिथ्या व आधारहीन तथ्यों को अंकित करते हुए प्रस्तुत किया है एवं ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में डाली गई सड़क पर डामरीकरण सड़क का निर्माण नही होने देना चाहता है पड़ोसी खातेदार व मकानों में निवास करने वाले व्यक्तियों के श्मशान का रास्ता बंद हो

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

जायेगा इसलिए आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन चलने योग्य नही है एवं खारिज होने योग्य है अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नम्बर 1402/153 का खातेदार है। PWD द्वारा एक सड़क डाली जानी प्रस्तावित है। सड़क डोटेड लाइन के दर्ज रास्ते के अलावा उक्त खसरे की सीमा के सहारे सहारे डालना चाहते है जमाबंदी में रास्ता की भूमि कटी हुई है जहां से रास्ता डालना चाह रहे है वहां पर मेरी टंकी व दिवार व लोहे का गेट लगा हुआ है वहा पर रास्ते का निर्माण करने से आवेदक को नुकशान होगा। मौके पर चालू रास्ता 8 से 9 फीट का है जो मेरा निजी रास्ता है पूर्व की सड़क को चौड़ा करना चाहते है व सड़क डालना चाहते है जबकि मेरे खेत के बीच में से रिर्कोडेड रास्ता है वहां से सड़क डाल दें। अगर पूर्व सड़क को चौड़ा करना चाहते है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नही की गई है ना ही कोई मुआवजा दिया गया है अतः टी0आई कंफर्म की जावे। रिब्युटल में अप्रार्थी ने कथन किया कि सड़क मौके पर बनी हुई है सिर्फ कारपेंटिग बाकी है सभी कृषकों ने अपनी सहमति से सड़क चौड़ी की है इसी रोड़ पर डेयरी व दुकाने बनी हुई है वादी व प्रतिवादी का मकान भी इसी रोड़ पर है। इसी रोड़ से आगे श्मशान का रास्ता भी जाता है। वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत ने यही से ग्रेवल सड़क बनाई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की दीवार व टंकी को कोई नुकसान नही पहुचायेंगे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।**

आवेदक की मुख्य आपत्ति भूमि खसरा नम्बर 1405/153 में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क डाले जाने को लेकर है जो कि आवेदक द्वारा अपने खातेदारी की भूमि होना दर्ज किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़क निर्माण किया जा रहा है वहां ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018 में ग्रेवल सड़क डाली थी जो कि आवागमन हेतु आमजन के उपयोग में आ रही है तथा इसी सड़क पर वर्तमान में PWD द्वारा डामरीकरण किया जा रहा है। इस संबंध में अनावेदकगण द्वारा सपथ पत्र भी पत्रावली में पेश किया गया है। आवेदक द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवेदक की खातेदारी की भूमि की सीमा को खुर्द बुर्द किया जा रहा हो तथा पूर्व में पचांयत द्वारा डाली गई ग्रेवल रोड़ के विपरित आवेदक की भूमि में से सड़क निर्माण किया जा रहा है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में प्रतीत नही होता है।

- **अपूरणीय क्षति :–** उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में नही होने से अपूरणीय क्षति घटित होना प्रतीत नही होती है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा दिनांक 04.09.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/6/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ